अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, सिकरहना स्थित ढ़ाका पूर्वी चम्पारण।

सी.आर.पी. संख्या– 160 / 2019

क्रम सं0	कार्यवाही के आदेश की तारीख	न्यायालय के हस्ताक्षर के साथ आदेश	दिनांक के साथ कार्यालय की कार्रवाई
1	2	3	4
	07.11.2019	परिवादिनी की तरफ से पैरवी की गई है। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर जांच साक्ष्य बंद किया गया। संज्ञान के बिन्दु पर सुना अभिलेख आज ही आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि परिवादिनी ममता देवी ने अविनाश सिंह एवं अन्य 4 लोगों के खिलाफ यह परिवाद पत्र धारा 342, 324, 406, 498(ए), 504, 506 भा.दं.वि एवं 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के तहत दाखिल किया है। परिवाद पत्र में उन्होंने यह आरोप लगाया है कि परिवादिनी की शादी दिनांक 23.04.2018 को अविनाश सिंह के साथ हुई थी। परिवादिनी के पिता ने अपने सामर्थ्य से बाहर जाकर उक्त विवाह में खर्च किया एवं उक्त अभियुक्तों को उपहार दिया। बिदागरी के समय परिवादिनी के ससुर ने मोटरसाईकिल परिवादिनी के पिता से मांगने लगे एवं नहीं देने पर बोले की बिदागरी नहीं होगा। परिवादिनी के पिता के आश्वासन देने के बाद बिदा करके ले गए। परन्तु कुछ दिन बीतने के बाद दहेज में मोटरसाईकिल को लेकर सभी मुदालह शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ित करने लगे एवं बेरहमी से पीटने लगे। परिवादिनी को घर में नजरबंद कर खाना–पीना भी बंद कर दिया जाने लगा एवं परिवादिनी की हत्या कर इनकी पति की दूसरी शादी कर देने की धमकी देने लगे। दिनांक 25.11.2018 को परिवादिनी को मारपीट कर सारा स्त्रीधन आभूषण वगैरह छीन लिया तथा घर से निकाल दिया। परिवादिनी तब से अपने मायके में रह रही है। परिवादिनी के पिता ने सगे संबंधियों एवं ग्रामीण पंचों की मध्यस्थता से उक्त सारे प्रताड़ना के निदान के लिए पहल किया लेकिन अभियुक्तगण दहेज में मोटरसाईकिल के जिद पर अड़े रहे। तब परिवादिनी द्वारा यह वाद दायर किया गया है। परिवादिनी के स्वयं शपथ पर बयान के अतिरिक्त वादिनी द्वारा जांच के क्रम में कुल 3 साक्षियों, साक्षी संख्या–1 कपिलदेव सिंह, साक्षी संख्या–2 राजदेव सिंह, एवं साक्षी संख्या–3 नवल किशोर सिंह का जांच साक्ष्य दर्ज करवाया गया। जिन्होंने घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया है। परिवाद पत्र के नामित अभियुक्तगण प्रभु सिंह एवं सिया देवी की घटना में संलिप्तता प्रतीत नहीं होती है अतः इन लोगों के विरूद्ध समन जारी करने का पर्याप्त आधार नहीं बनता है। तथा अभिलेख में अभियुक्तों के विरूद्ध अग्रिम कार्रवाई आगे बढ़ाने का प्राप्त आधार मौजूद नहीं है। अतः परिवाद पत्र के नामित अभियुक्तगण मुदालह नं0 1– अवनीश सिंह, मुदालहम नं0–2 शम्भू सिंह एवं मुदालह नं0 3– सुगांधी देवी के विरूद्ध धारा 498(ए) भा.द.वि. तथा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम अंतगर्त प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है तथा इन पर संज्ञान की कार्रवाई पूर्ण होता है। तथा उपरोक्त धाराओं में **समन** जारी करने का आदेश दिया जाता है। परिवादिनी एक सप्ताह के अंदर आवश्यक सामग्री समन की अपेक्षितायें दाखिल करें। तत्पश्चात् कार्यालय जांचोपरांत अभियुक्तों मुदालह नं0 1, 2 एवं 3 के विरूद्ध समन जारी करें। वाद दिनांक 07.12.2019 को अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु। अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, सिकरहना, (ढ़ाका)	